भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1896

06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष पद्धतियों को एकीकृत किया जाना

1896. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में आयुष पद्धतियों को स्वास्थ्य परिचर्या की मुख्य धारा में लाने वाली सेवाओं के साथ एकीकृत करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष-आधारित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ कोई सहयोगात्मक परियोजनाएं बनाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की नीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लिए विकल्प उपलब्ध हो सके। आयुष चिकित्सकों/पैराचिकित्सकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जबकि आयुष बुनियादी ढांचे, उपकरण/फर्नीचर और औषधियों के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा साझा जिम्मेदारियों के रूप में समर्थन प्रदान किया जा रहा है। पीएससी, सीएचसी और डीएच में सह-स्थापित आयुष सुविधाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक** पर दी गई है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक अभिन्न अंग है जिसमें स्वस्थ आहार और जीवन शैली के लिए परामर्श, मैराथन, साइक्लोथॉन, योग, ध्यान, जुम्बा, वार्षिक स्वास्थ्य दिवसों का उत्सव आदि शामिल हैं, जिससे समुदाय का कल्याण सुनिश्चित होता है। योग को स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में शामिल करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में नियमित योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

*****

संलग्नक

पीएससी, सीएचसी और डीएच में सह-स्थापित आयुष सुविधाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	डीएच	सीएचसी	पीएचसी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	9	105	273	387
2	अरुणाचल प्रदेश	16	34	50	100
3	असम	21	110	364	495
4	बिहार	36	0	0	36
5	छत्तीसगढ़	18	98	454	570
6	गोवा	2	6	22	30
7	गुजरात	0	0	868	868
8	हरियाणा	21	101	106	228
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
10	झारखंड	24	188	97	309
11	कर्नाटक	15	78	375	468
21	केरल	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	36	99	285	420
14	महाराष्ट्र	23	238	20	281
15	मणिपुर	7	17	78	102
16	मेघालय	11	25	54	90
17	मिजोरम	12	9	10	31
18	नागालैंड	9	20	9	38
19	ओडिशा	0	302	858	1160
20	पंजाब	15	72	100	187
21	राजस्थान	0	52	146	198
22	सिक्किम	4	1	4	9
23	तमिलनाडु	37	388	475	900
24	तेलंगाना	0	42	352	394
25	त्रिपुरा	3	21	84	108
26	उत्तराखंड	13	53	44	110
27	उत्तर प्रदेश	102	666	627	1395
28	पश्चिमी बंगाल	8	280	368	656
29	अंडमान और निकोबार द्वीप	3	4	20	27
30	चंडीगढ़	1	2	29	32
31	दादरा व नागर हवेली और दमण व दीव	2	4	9	15
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0	0	0
33	जम्मू-कश्मीर	13	13	372	398
34	लद्दाख	2	7	32	41
35	लक्षद्वीप	2	3	4	9
36	पुडुचेरी	4	4	39	47
		469	**3042**	**6628**	**10139**

स्रोतः 31 मार्च 2024 तक एनएचएम-एमआईएस डेटाबेस के अनुसार